

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018-फाल्गुन 4, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर नीरज चौधरी (Neeraj Chaudhary) के स्थान पर नीरज मावरी (Neeraj Mawari) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नीरज मावरी (Neeraj Mawari) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित हों.

पुराना नाम :

( नीरज चौधरी )

(750-बी.)

नया नाम :

( नीरज मावरी )

74, साईं नगर, राऊ, इन्दौर (म.प्र.)453331.

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व में नाम ईशु चौधरी था, जो अब बदलकर ईशुराज चौधरी हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना जावे.

(748-बी.)

खेमराज चौधरी,

130-डी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम कु. काजल मंशानी पुत्री श्री लक्ष्मण मंशानी था जो कि विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती कनुषी थानवानी पत्नी श्री साहिल थानवानी हो गया है. अतः अब मुझे कनुषी थानवानी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( कु. काजल मंशानी )

(749-बी.)

नया नाम :

( कनुषी थानवानी )

म. नं. 98 ए, सागर रॉयल होम्स,  
आशिमा माल के पीछे, होशंगाबाद रोड,  
भोपाल (म.प्र.) 462026.

### नाम परिवर्तन

मेरी पक्षकारा अवयस्क साक्षी पिता गोवर्धनलाल गेहलोद शहर झाबुआ, तहसील व जिला झाबुआ के द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि:-

“मेरी पक्षकारा अवयस्क होकर श्री गोवर्धनलाल पिता दुंगरसिंह गेहलोद की पुत्री है मेरी पक्षकारा कक्षा 9वीं की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला, जिला झाबुआ में रोल नंबर 940 में दर्ज होकर वर्ष 2014-15 में उत्तीर्ण की है. जिसमें उसका सरनेम गेहलोद उल्लेख है उसके पश्चात् अवयस्क साक्षी कक्षा 10वीं में एडमिशन लेकर सत्र 2015-16 में रोल नम्बर 1237075 पर दर्ज होकर परीक्षा उत्तीर्ण की. उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकसूची पर त्रुटिवश गेहलोद के स्थान पर निनामा अंकित हो गया है. साक्षी व्यवहार आदि कार्य में गेहलोद सरनेम का उपयोग करती है तथा मेरी पक्षकारा अवयस्क साक्षी अनुसूचित जाति की सदस्या है. भविष्य में भी अपने सरनेम के रूप में गेहलोद सरनेम का उपयोग करना चाहती है.

अतः सभी आम जनता को सूचित किया जाता है कि कु. अवयस्क साक्षी को आज से कुमारी साक्षी पिता गोवर्धनलाल गेहलोद के नाम से जाना जाये”.

उमंग सक्सेना,  
(एडवोकेट)

(747-बी.)

झाबुआ (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार राजपूत पुत्र श्री गंगाराम जाति लोधी, आयु 57 वर्ष, निवासी ग्राम टोरिया मढवासा, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश का हूँ. एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र रंजीतसिंह लोधी के शैक्षणिक दस्तावेज मिडिल एवं हाईस्कूल की अंकसूचियों में मेरा नाम रमेश कुमार राजपूत है और हायर सेकण्डरी, स्नातक, बी.एड. एवं पी.जी.डी.सी.ए. की अंकसूचियों में मेरा नाम रमेश कुमार लोधी है. अतः यह दोनों ही उपनाम मेरे स्वयं के हैं भविष्य में मेरा नाम मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में रमेश कुमार लोधी के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

( रमेश कुमार राजपूत )

(751-बी.)

नया नाम :

( रमेश कुमार लोधी )

निवासी-ग्राम टोरिया, तहसील बदरवास,  
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे वर्तमान में सुखलाल राठौर पिता घीसालाल राठौर, निवासी म. नं. 01, वार्ड नं. 03, कृष्णा कम्पाउंड गीता भवन रोड, मंदसौर के नाम से जाना जाता था. लेकिन आज से मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सुखी राठौर रख लिया है.

अतः आज से मुझे मेरे नये नाम सुखी राठौर से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( सुखलाल राठौर )

(752-बी.)

नया नाम :

( सुखी राठौर )

### नाम परिवर्तन

मैं, अलीम अहमद खान (ALIM AHMED KHAN) पिता अब्दुल हकीम खान, निवासी अहमदी मस्जिद के सामने, रेल्वे कुकड़ जगत-छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश यह घोषणा करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम अलीम अहमद (ALIM AHMED) पिता-अब्दुल हकीम खान दर्ज है को बदलकर अपना नया नाम अलीम अहमद खान (ALIM AHMED KHAN) पिता-अब्दुल हकीम खान (ABDUL HAKIM KHAN) कर रहा हूँ. अतः दिनांक 01-12-2017 से मुझे मेरे नये नाम अलीम अहमद खान (ALIM AHMED KHAN) पिता अब्दुल हकीम खान (ABDUL HAKIM KHAN) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( अलीम अहमद )  
(ALIM AHMED)

पिता अब्दुल हकीम खान.

(753-बी.)

नया नाम :

( अलीम अहमद खान )  
(ALIM AHMED KHAN)

पिता अब्दुल हकीम खान

(ABDUL HAKIM KHAN)

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम समीक्षा परियानी पुत्री श्री टीकमदास परियानी है, विवाह पश्चात् उक्त नाम परिवर्तन होकर काव्या तलरेजा पत्नी श्री संजय तलरेजा हुआ है तथा मैं, इसी नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

(समीक्षा परियानी)

(754-बी.)

नया नाम :

(काव्या तलरेजा)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शीबा खान पिता शकील अहमद खान था. जो कि विवाह पश्चात् श्रीमति सीमा मकवाने पति श्री अनिल मकवाने नाम से जानी तथा पहचानी जाती हूँ।

अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

(शीबा खान)

पिता शकील अहमद खान.

(755-बी.)

नया नाम :

(सीमा मकवाने)

पति श्री अनिल मकवाने,  
2/3, चौथी पल्टन, पुलिस लाईन,  
इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता सेवाराम रजक पुत्र श्री बद्रीप्रसाद, आयु 39 वर्ष, निवासी मकान नं. 150/57, कबीर कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर द्वारा भारतीय जीवन बीमा की एक पॉलिसी क्रमांक 202486755 प्राप्त करते समय पॉलिसी में मेरा नाम सेवाराम बरेठा एवं बैंक में अंकित नाम सेवाराम रजक दोनों मुझ शपथकर्ता के ही नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में सेवाराम बरेठा के स्थान पर सेवाराम रजक के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

सर्व-साधारण सूचित हो.

पुराना नाम :

(सेवाराम बरेठा)

(756-बी.)

नया नाम :

(सेवाराम रजक)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दीपक जोधा पुत्र श्री प्रहलाद कुमार था एवं समस्त दस्तावेजों एवं अंकसूची में मेरा नाम दीपक जोधा है अब मैं अपना उपनाम (सरनेम) बदलकर दीपक जोधानी पुत्र श्री प्रहलाद कुमार कर दिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(दीपक जोधा)

(757-बी.)

नया नाम :

(दीपक जोधानी)

पता-एच.सी. 54, एन. आर. आई,  
लेकव्यू कॉलोनी, कोहेफिजा भोपाल-462001 (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अरुण कुलकर्णी पुत्र श्री बी. एस. कुलकर्णी था एवं समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं अंकसूची में मेरा नाम अरुण कुलकर्णी है न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब मेरा नाम बदलकर अरुण शिरालकर पुत्र श्री मुकुन्द शिरालकर हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(अरुण कुलकर्णी)

(758-बी.)

नया नाम :

(अरुण शिरालकर)

पता-म.नं.-149, निरजा नगर जे. के. रोड,  
भोपाल-462023 (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार ध्रुव पिता सुखराम ध्रुव, निवासी उडिया मोहल्ला, सिंहपुर रोड, शहडोल, जिला शहडोल मध्यप्रदेश हूँ। मेरी शिक्षा हाई स्कूल तक पढ़ा तथा आईटीआई शहडोल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त आईटीआई अंकसूची में टंकण त्रुटिवश मेरा नाम अनिल कुमार ध्रुव लेख हो गया है। वहीं मेरी नौकरी के सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भी सरनेम त्रुटिवश ध्रुव लेख हो गया है, जबकि दोनों ही सरनेम ध्रुव व ध्रुवें गोंड आदिवासी जाति के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु हमारा परिवार जन्म से ध्रुव सरनेम लेख किया है। इसलिये हम अपने एवं परिवार की पहचान केवल ध्रुव सरनेम से घोषित करते हैं। इस सूचना के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अनिल कुमार ध्रुव के नाम से सम्बोधित व लेखित किया जावे।

पुराना नाम :

( अनिल कुमार ध्रुवें )

(762-बी.)

नया नाम :

( अनिल कुमार ध्रुव )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं तानया सक्सैना पुत्री श्री अजय कुमार सक्सैना हूँ मेरा एल. आई. सी. पॉलिसी नम्बर 372634454 में मेरा नाम टिविकल अंकित किया गया है। जबकि मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं बैंक खाते में मेरा नाम तानया सक्सैना अंकित है इसलिये मुझे तानया सक्सैना के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये तथा मेरे एल.आई.सी. पॉलिसी में भी मेरा नाम टिविकल के स्थान पर तानया सक्सैना पढ़ा एवं लिखा जाये सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

( कु. टिविकल सक्सैना )

(766-बी.)

नया नाम :

( कु. तानया सक्सैना )

8, कांती नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर.

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पुलक सिंघल पुत्र श्री कमल सिंघल हूँ मेरा एल.आई.सी. पॉलिसी क्रमांक 201061957, 201068048, 200367948, 200355664 एवं 203237734 एवं पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, मार्कशीट में मेरा नाम पुलक अग्रवाल अंकित किया गया है जबकि मेरे बैंक खाते एवं आधार कार्ड तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय इत्यादि में मेरा नाम पुलक सिंघल अंकित है। इसलिये मुझे पुलक सिंघल के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये तथा मेरे एल. आई. सी. पॉलिसी एवं अन्य दस्तावेजों में भी पुलक अग्रवाल के स्थान पर पुलक सिंघल के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा एवं लिखा जाये सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

( पुलक अग्रवाल )

(767-बी.)

नया नाम :

( पुलक सिंघल )

ओल्ड हाईकोर्ट रोड, लशकर,  
ग्वालियर

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमल सिंघल पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ सिंघल हूँ मेरा एल.आई.सी. पॉलिसी क्रमांक 200383997 एवं 200320523 में मेरा नाम कमल कुमार अग्रवाल अंकित किया गया है। जबकि मेरे बैंक खाते एवं आधार कार्ड तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय इत्यादि में मेरा नाम कमल सिंघल अंकित है। इसलिये मुझे कमल सिंघल के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये तथा मेरे एल. आई. सी. पॉलिसी एवं अन्य दस्तावेजों में भी कमल कुमार अग्रवाल के स्थान पर कमल सिंघल के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा एवं लिखा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

( कमल कुमार अग्रवाल )

(768-बी.)

नया नाम :

( कमल सिंघल )

ओल्ड हाईकोर्ट रोड, लशकर,  
ग्वालियर

### आम सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि (1) आजाद जैन पुत्र स्व. मदनचंद जैन, (2) अनीता जैन पत्नी आजाद जैन, (3) मीना सिंघल पत्नी अशोक सिंघल, (4) ओमप्रकाश मंगल पुत्र स्व. रामभरोसी मंगल, (5) एच.एन. अग्रवाल पुत्र लक्ष्मीराम अग्रवाल, (6) मदनचंद जैन पुत्र हरलाल जैन उक्त पार्टनरों के साथ मैसर्स ए. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा साझेदारी फर्म बनाकर 31-08-2003 से ठेकेदारी का व्यवसाय

किया जा रहा था. इनमें एच. एन. अग्रवाल एवं श्री ओमप्रकाश मंगल अपनी स्वेच्छा से व्यस्तता के कारण फर्म से अलग हो गए हैं. तथा श्री मदनचंद जैन का निधन दिनांक 21-09-2016 को हो गया है. अतः फर्म के तीनों पार्टनरों के फर्म से अलग होने की सूचना प्रकाशित की जा रही है एवं श्रीमति विनोद गुप्ता फर्म में नये साझेदार के रूप में शामिल हुई है. दिनांक 15-10-2016 से नई साझेदारी फर्म तैयार कर मैसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी टी. व्ही. टावर रोड, शिवपुरी द्वारा कार्य किया जा रहा है. कृपया आमजन सूचित हो अगर इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर फर्म एवं रजिस्ट्रार कार्यालय ग्वालियर में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

मैसर्स ए. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी,  
आजाद जैन,  
(पार्टनर).

(744-बी.)

### PUBLIC NOTICE

#### U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms " M/s Mushkan Stone Industries" of Dabra, Distt. Gwalior Vide Registration No. 02/42/02/0242/17, dated 22-12-2017 has undergone the following changes :-

1. That Smt. Anita Bhargav W/o Akhilesh Bhargav, Mr. Rama Shankar Mishra S/o Shri Ram Swaroop Mishra and Mr. Piyush Gupta S/o Dinesh Gupta have joined the Partnership firm w.e.f. 05-01-2018.

"M/s Mushkan Stone Company",  
SANJEEVGUPTA,  
(Partner).  
H.No. 142, Balla Ka Dera,  
Dabra, Distt Gwalior.

(759-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्लाजो डेव्हलपर्स, पता ओम हाईट्स, ब्लॉक-ए, पल्हर नगर फर्म होकर इसमें तीन भागीदार सत्यम पिता श्री सुभाष खण्डेलवाल, राजेश पिता चन्द्रकुमार पाटोदी, सुभाष पुराणिक पिता श्री उमाचरण पुराणिक थे, जिसमें से एक भागीदार सत्यम पिता सुभाष खण्डेलवाल द्वारा स्वेच्छा से उक्त फर्म से रिटायर्ड होने का निर्णय लिया, जिसके संबंध में उपरोक्त समस्त भागीदारों द्वारा दिनांक 08-11-2016 को श्रीमान नोटरी महोदय, इन्दौर (श्री मोहनलाल) के समक्ष एक उपरोक्त भागीदारों के संदर्भ में पुर्नगठन लेख जिसका नोटरी क्रमांक 23710/16 का निष्पादन उपरोक्त भागीदार द्वारा अपनी सहमति से उक्त फर्म के संदर्भ में समस्त लेन-देन व व्यवहार का निपटारा उपरोक्त पुनः गठन के माध्यम से कर लिया गया है. जिसके पश्चात् सत्यम पिता सुभाष खण्डेलवाल का उक्त फर्म से कोई संबंध नहीं रह गया है. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त फर्म के संदर्भ में सत्यम पिता सुभाष खण्डेलवाल से कोई व्यक्ति या संस्था कोई व्यवहार न करे. अगर किसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो पुनर्गठन के अनुसार भागीदारी फर्म की जवाबदारी नहीं होगी.

जेपी जिरेती,  
(एडव्होकेट)

(760-बी.)

प्रिस यशवंत निवास रोड, राजबाडा.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23-06-2016 भागीदारी कर्मी M/s BRIGHT FLIGHT BUILT का पंजीकृत कार्यालय, 3/2, महेश नगर, इन्दौर है. उक्त फर्म में (1) श्री प्रशांत राठौर पिता मनोहर राठौर, (2) श्री राजेश पाटोदी पिता श्री चन्द्र कुमार पाटोदी एवं (3) सुभाष पुराणिक पिता श्री उमाचरण पुराणिक को उक्त फर्म में एक भागीदार के रूप में जोड़ा गया है. अतः अब वर्तमान में फर्म में कुल पाँच भागीदार हो चुके हैं- (1) सत्यम पिता सुभाष खण्डेलवाल, (2) मयंक गुप्ता पिता पुरूषोत्तम गुप्ता, (3) प्रशांत राठौर पिता मनोहर राठौर, (4) राजेश पाटोदी पिता चन्द्रकुमार पाटोदी, (5) सुभाष पुराणिक पिता उमाचरण पुराणिक है.

जेपी जिरेती,  
(एडव्होकेट)

(761-बी.)

प्रिस यशवंत निवास रोड, राजबाडा.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक (1) सत्यम खण्डेलवाल पिता सुभाष खण्डेलवाल, (2) मयंक गुप्ता पिता श्री पुरुषोत्तम गुप्ता, (3) प्रशांत राठौर पिता मनोहर राठौर भागीदार फर्म M/s BRIGHT FLIGHT BUILT पता 3/2, महेश नगर, इन्दौर में भागीदारी थे, जो दिनांक 28-06-2016 को भागीदारी फर्म M/s BRIGHT FLIGHT BUILT से निवृत्त हो चुके हैं तथा वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में मात्र दो ही भागीदार (1) राजेश पाटोदी पिता चन्द्रकुमार पाटोदी एवं (2) सुभाष पुराणिक पिता उमाचरण पुराणिक हैं।

जेपी जिरेती,

(एडव्होकेट)

प्रिंस यशवंत निवास रोड, राजबाडा.

(761-A-बी.)

### जाहिर सूचना

#### भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधिन सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्धी एसोसिएट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस 63/6/1, सिद्धी भवन, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00221/09, दिनांक 10-11-2009 उक्त फर्म की भागीदारी में (1) श्रीमती गायत्री पिता श्री जमना प्रसाद, निवासी ग्राम मिसरोद, होशंगाबाद रोड, भोपाल, (2) श्री राजमाल लेवे पिता श्री बालमुकुंद, निवासी ई-7/714, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, (3) श्री मनोहर पिता श्री शिवनारायण, निवासी/714, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, (4) श्री सतानन्द पिता श्री राधेश्याम, निवासी ई-101/ए, क्वालिटी होम्स, कोलार रोड, भोपाल, (5) अजय पाटीदार पिता श्री रमेश चंद्र, निवासी ई-5/193 बी-1 अरेरा कॉलोनी, भोपाल को फर्म के भागीदार के रूप में दिनांक 31-03-2014 से सम्मिलित किये गए हैं। (1) श्रीमती गायत्री पिता श्री जमना प्रसाद, (2) राजमाल लेवे पिता श्री बालमुकुंद, (3) मनोहर पिता श्री शिवनारायण, (4) सतानन्द पिता श्री राधेश्याम, (5) अजय पाटीदार पिता श्री रमेश चंद्र, (6) विशाल पाटीदार पिता श्री बंदी प्रसाद पटेल, (7) विश्रवास पाटीदार पिता श्री बंदी प्रसाद पटेल, (8) श्रीमती शकुन बाई पति श्री ब्रह्मानंद, (9) श्रीमती चंदकला पति श्री सियाराम, (10) श्रीमती लीला पति श्री राजमाल, (11) श्रीमती फूलवती पति श्री सतानन्द, (12) श्रीमती सरस्वती पति श्री मुरलीधर, (13) तेजकुंवर द्वारका पिता श्री द्वारका, (14) श्रीमती लीला पति श्री राधेश्याम, (15) श्रीमती गीता पति श्री शिवनारायण, (16) कृष्णा पिता श्री रमेश चंद्र.

मैसर्स सिद्धी एसोसिएट,

राजमाल लेवे,

(भागीदार).

भोपाल.

(763-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स वाटिका बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, वाटिका परिसर, लालघाटी, भोपाल जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/00556/11, दिनांक 18-03-2011 पर रजिस्टर्ड फर्म है कि एक भागीदार श्री माधव प्रकाश सदाना का दिनांक 23-06-2016 को अचानक स्वर्गवास हो गया है. अतः संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 01-04-2011 की शर्तों के अनुसार स्व. माधव प्रकाश सदाना के स्थान पर उनकी वैध उत्तराधिकारी श्रीमती रश्मि सदाना पत्नी स्व. माधव प्रकाश सदाना को उनकी सहमती एवं अन्य शेष भागीदारी की सहमती से दिनांक 23-06-2016 से ही भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है. अतः अब भागीदारी फर्म (1) श्रीमती रश्मि सदाना, (2) श्री मनोज कुमार सदाना, (3) श्री विजय सिंह, (4) श्री शंकरलाल सदाना पंजवानी, (5) श्री मुरलीधर सदाना की भागीदारी में संचालित की जा रही है.

अवधेश शाह,

(अधिवक्ता)

एच. सी. 10, अभिरुचि परिसर,

ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल.

(764-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स धर्मराज इन्टरप्राइजेज स्थित वार्ड नं. 6, रावत मुहल्ला, वैशपुरा रोड, लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.जी./फर्म/38, दिनांक 29-11-2002 है. जिसमें दिनांक 16-02-2018 से भागीदार श्री राजेश सिंह

पुत्र श्री युधिष्ठिर सिंह, निवासी रावत मौहल्ला, वार्ड नं. 6 लहार, जिला भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 16-02-2018 से आशीष सिंह राजावत पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह राजावत, निवासी साईं कृपा, जे. पी. इन्क्लेव, नियर खेड़ापति मंदिर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स धर्मराज इन्टरप्राइजेज,  
भूपेन्द्र सिंह,  
(भागीदार).  
लहार, जिला भिण्ड.

(765-बी.)

### जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जेसन्स फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर 425, आई.डी.ए. स्कीम नं. 59, नियर न्यू सब्जी मण्डी, ए. बी. रोड, इन्दौर भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. 03/27/03/00324/13, दिनांक 06-03-2013 है. उक्त फर्म में भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01-04-2007 फर्म में नवीन भागीदार के रूप में मनीषा पिता श्री गोविन्द चंद बाधवानी, निवासी 425, आई.डी.ए. स्कीम नं. 59, नियर न्यू सब्जी मण्डी, ए. बी. रोड, इन्दौर को नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. फर्म का पूर्व नाम परिवर्तित कर नवीन नाम जे सन्स कारपोरेशन किया गया है, सो सूचित हो.

फर्म-जेसन्स फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर,  
गोपीचन्द्र बाधवानी,  
(भागीदार).

(769-बी.)

### जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जेसन्स फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर 425, आई.डी.ए. स्कीम नं. 59, नियर न्यू सब्जी मण्डी, ए. बी. रोड, इन्दौर भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. 03/27/03/00324/13, दिनांक 06-03-2013 है. उक्त फर्म में भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01-04-2010 से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में श्रीमती जिया पति श्री अमित बाधवानी, निवासी 425, आय.डी.ए. स्कीम नं. 59, नियर न्यू, सब्जी मण्डी ए. बी. रोड, इन्दौर को नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. सो सूचित हो.

फर्म-जेसन्स फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर,  
गोपीचन्द्र बाधवानी,  
(भागीदार).

(769-A-बी.)

### जाहिर सूचना

#### भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधिन सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सांवलिया कन्सट्रक्शन कम्पनी फर्म के रजिस्टर्ड ऑफिस 1099, व्ही. एम. स्कूल, विहांडड नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00419/13, सन् 2012-13, दिनांक 07-01-2013 उक्त फर्म की भागीदारी में अशोक कुमार अग्रवाल पिता श्री बट्टी प्रसाद अग्रवाल, निवासी नियर श्याम टॉवर हाउस के पास रेल्वे स्टेशन, हरदा भोपाल को फर्म के भागीदार के रूप में दिनांक 10-12-2015 से सम्मिलित (INDUCTION) किये गए हैं तथा (1) श्री नवीन राय पिता श्री नवल किशोर राय, निवासी डब्ल्यू. एच.05 सिंचाई विभाग कॉलोनी, इन्द्रपुरी, भोपाल (2) शिव कुमार द्विवेदी श्री लालमणी द्विवेदी, निवासी 5/19, रविशंकर नगर, बोड कॉलोनी, भोपाल को फर्म के भागीदार को दिनांक 10-12-2015 को निवृत्त (RETIRED) हो गये हैं, सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स सांवलिया कन्सट्रक्शन कम्पनी,  
अतुल अग्रवाल,  
(भागीदार).

(770-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, नगर क्षेत्र धार

धार, दिनांक 05 फरवरी, 2018

फार्म नम्बर-3

[ देखिये नियम-4(2) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 ( तीस 1951 ) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बाबद् ]

समक्ष:-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार.

क्र./296/रीडर/2018.—चूंकि ट्रस्ट “ श्री लक्ष्मीनारायण परमार्थिक ट्रस्ट धार ” ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) के बाबद् मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1950 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 21 मार्च, 2018 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबद् कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीब करें और मेरे समक्ष दिनांक 21 मार्च, 2018 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण )

1. लोक न्यास का नाम : श्री लक्ष्मीनारायण परमार्थिक ट्रस्ट धार.
2. चल सम्पत्ति : 5000/- रुपये नर्मदा झाबुआ बैंक, शाखा धार में खाता क्रमांक 601310210000021 में जमा है.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी.

सत्यनारायण दर्श,

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ).

(298)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

प्र.क्र. /बी-113(1)/2017-18.

दिनांक 02 फरवरी, 2018 को जारी

### प्रारूप-चार

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत ]

आवेदक क्षत्रिय राजपूत समाज ट्रस्ट नरलाय, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की ओर से श्री कोमलसिंह पिता छतरसिंह सोलंकी वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, निवासी नरलाय, जिला खण्डवा द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 16-02-2018 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

- सार्वजनिक न्यास का नाम : क्षत्रिय राजपूत समाज ट्रस्ट नरलाय, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.



पता : क्षत्रिय राजपूत ट्रस्ट नरलाय, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.

### अनुसूची "अ"

चल संपत्ति : निरंक

### अनुसूची "ब"

अचल संपत्ति : निरंक

(299)

अरविंद कुमार चौहान,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

क्र. 02/बी-113/2017-18.

भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल.

1. आवेदक श्री शिव शक्ति मंदिर सार्वजनिक न्यास, भोपाल द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी श्री संजय सिंह राघव पुत्र स्व. श्री रेवती राघव सम्राट कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत श्री शिव शक्ति मंदिर, सावर्जनिक न्यास, भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-14 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार ट्रस्ट को तीन वर्ष से अधिक समयावधि के लिए किराये से देने आवेदन प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 01 मार्च, 2018 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम : श्री शिव शक्ति मंदिर सार्वजनिक न्यास.

कार्यालय का पता : म. नं. बी-12, सम्राट कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल.

(300)

मिलिंद ढोके,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ट्रस्ट ( शहर ), रतलाम

क्र.01/बी-113(1)/2017-18.

रतलाम, दिनांक 23 जनवरी, 2018

### फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र.01/आर-3/18.—आवेदक श्री लालचन्द्र पिता सिरेमल सुराना, रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "श्री देवसुर तपागच्छ चारथुई श्री संघ वर्धमान तप आर्यबिल खाता, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 07 मार्च, 2018 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 22 फरवरी, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यासी का पूरा नाम : "श्री देवसुर तपागच्छ चारथुई श्री संघ वर्धमान तप आर्यबिल खाता, रतलाम, मध्यप्रदेश."

पता : पता-सायर चबुतरा स्थित श्रद्धी आगमो द्वारक भवन में रहेगा.  
अचल सम्पत्ति : निरंक.  
चल सम्पत्ति : रुपये 1,62,862/-

अनिल भाना,  
रजिस्ट्रार.

(301)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर**

प्र.क्र./05बी/113(1)वर्ष 2016-17.

बण्डा, दिनांक 11 जनवरी, 2018

मौजा-घोघरा, तहसील बण्डा.

1. रामशेवसिंह पिता भगवानसिंह  
निवासी घोघरा, तहसील बण्डा.

.....आवेदक

**विरुद्ध**

2. म.प्र. शासन

.....अनावेदक

क्र./क/Q/रीडर-1/2018.—सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक रामशेवसिंह पिता भगवानसिंह, निवासी घोघरा, तहसील बण्डा, जिला सागर के द्वारा मौजा घोघरा, प. ह. नं., तहसील बण्डा, जिला सागर में स्थित खसरा नं. 47, 65, 479, 557, 822 एवं 841 रकबा कुल 4.32 श्री देव शंकरजी मंदिर व्यवस्थापक भगवानसिंग पिता अमोलसिंह प्रबन्धक कलेक्टर महो., सागर के दर्ज है. आवेदक द्वारा पूर्व मुहत्तमकार स्व. भगवानसिंग पिता अमोलसिंह, निवासी घोघरा, तहसील बण्डा, की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 26 अप्रैल, 2017 में लेख किया है कि मंदिर में मौजा घोघरा स्थित भूमि ख. नं.-47, 65, 479, 557, 822 एवं 841 रकबा कुल 4.32 श्री देवशंकर जी मंदिर की व्यवस्थापन पूजा-अर्चना पुजारी रामशेव पिता भगवानसिंह कर रहे हैं तथा उन्हें ही मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः आवेदक रामशेवसिंह पिता भगवानसिंह, निवासी घोघरा को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 26-02-2018 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 11 जनवरी, 2018

पेशी दिनांक 26 फरवरी, 2018

बी. बी. पाण्डेय,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(302)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास मण्डलेश्वर, जिला खरगौन**

रा.प्र.क्र.002/बी-113(1)/2017-18.

मण्डलेश्वर, दिनांक 03 फरवरी, 2018

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गणपति पिता गंगारामजी पाटीदार, निवासी श्रीनगर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश न्यास सचिव न्यासी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः में अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 03 फरवरी, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | श्री रेवा कुटी आश्रम धार्मिक परमार्थिक न्यास ग्राम जलूद, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, म.प्र. |
| 2. न्यास का पता | : | ग्राम जलूद, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, म.प्र.  |
| 3. चल सम्पत्ति  | : | 15,000/- रुपये नगद है.   |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | निरंक.   |

यह सूचना आज दिनांक 03 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

**अवि प्रसाद**

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(306)

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर**

सागर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2200.—गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 123, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/916, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. रहली द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 123, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155)

सागर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2201.—ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पटकुई, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 645, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने के एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/1974, सागर दिनांक 08 नवम्बर, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र/निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पटकुई, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 645, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

**पी. आर. कावड़कर,**

उप-रजिस्ट्रार.

(156)

**कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन**

खरगौन, दिनांक 15 जनवरी, 2018

**संशोधित आदेश**

क्र./परि./2018/122.—प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रमांक 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 04 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 05 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नव नियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :-

क्र.	परिसमापनाधिन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	राज राजेश्वर साख सह. संस्था मर्या., महेश्वर.	1028/12-12-1996	1317/29-10-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, व.स.नि.	श्री आर. के. रोमड़े, स.नि.
2.	देवी अहिल्या साख सह. संस्था मर्या., महेश्वर.	1498/22-01-2007	1317/29-10-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, व.स.नि.	श्री एच. सी. यादव, उप-अंके.
3.	श्री नाथ साख सह. संस्था मर्या., महेश्वर.	78/07-07-2005	1592/22-12-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, व.स.नि.	श्री एस. आर. सोलंकी, व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजेश क्षत्री,  
उप-पंजीयक.

(154)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, खरगौन**

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./Q1/2017.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	वल्लभा प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., खरगौन.	529/04-04-2014	1478/01-03-2006	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., घोटिया.	1233/20-09-2013	640/21-12-1983	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	वृक्ष सहकारी संघ मर्या., खरगौन	1959/20-11-2004	851/28-11-1991	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	तेल उत्पादक सह. समिति मर्या., खरगौन.	4383/24-08-1971	622/26-06-1950	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(161)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./Q1/2017.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	खादी ग्रामो. बनुकर सह. समिति मर्या., खरगौन.	2349/18-04-1979	71/23-11-1971	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	रेडीमेड वस्त्र सहकारी समिति मर्या., पोखरखुर्द.	4004/13-09-1982	505/08-11-1976	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	जगदम्बा महिला गृह उद्योग सह. समिति मर्या., जैतापूर.	474/28-02-2002	405/27-11-1992	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	आदि. बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., भगवानपुरा.	3928/27-09-1976	180/26-02-1965	भगवानपुरा	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(162)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./Q1.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	रामकृष्ण गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1706/01-10-2002	43/30-06-1980	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	आहिर स्वर्णकार गृह निर्माण सह. सं. मर्या., खरगौन.	1099/27-07-2010	51/30-05-1983	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	महिला साख सहकारी समिति मर्या., खरगौन.	1099/27-07-2010	688/18-06-1986	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	सूतमिल कामगार सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1099/27-07-2010	1153/06-10-1997	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(163)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./Q1/17.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पालिका कर्म. साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1317/29-10-2014	772/19-06-2014	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

1	2	3	4	5	6
2.	निमाडु साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1393/06-11-2009	01/10-11-2000	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	ऊँ शिवम अनुसूचित जाति जनजाति बहु. स., खरगौन.	146/10-02-2009	15/04-01-2003	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	अरहन्त आफसेफ सह. प्रेस नूतन नगर खरगौन.	1327/31-10-2014	05/22-10-2010	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(164)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./Q1/2017.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	माँ अंबिका बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., खरगौन.	1327/31-10-2014	10/23-08-2002	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति साख सह. मर्या., खरगौन.	1327/31-10-2014	60/11-01-2005	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	आदिवासी कर्म. साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	1327/31-10-2014	76/01-07-2005	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	निमाडु बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., खरगौन.	1309/30-10-2015	476/15-03-1972	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(165)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./Q1/2017.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंबाखेड़ा.	66/12-10-2016	1460/21-12-2005	भगवानपुरा	बी. एल. सोलंकी
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काबरी.	66/12-10-2016	1274/31-01-2004	भगवानपुरा	बी. एल. सोलंकी
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भुलवानिया.	66/12-10-2016	1461/21-12-2005	भगवानपुरा	बी. एल. सोलंकी
4.	लालबैड़ा मत्स्योद्योग सह. सं. मर्या., रायबिडपुरा.	874/02-07-2016	1555/15-09-2008	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।



यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(166)

बी. एल. सोलंकी,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 11 जनवरी, 2018

क्र./परि./2017/147.-माँ बैराज मत्स्यउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कालामढ, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 566, दिनांक 23 अप्रैल, 2011 के परिसमापक श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2016/1003, दिनांक 16 मई, 2016 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

1. श्री महेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
2. श्री ब्रजेश सिंह बाथम	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती लक्ष्मी बाथम	सदस्य
4. श्रीमती गीता बाथम	सदस्य
5. श्री दीनदयाल बाथम	सदस्य
6. श्री ग्यासी बाथम	सदस्य
7. श्रीमती कमला बाथम	सदस्य

(243)

शिवपुरी, दिनांक 11 जनवरी, 2018

क्र./परि./2017/151.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बेरखेडा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 710, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 के परिसमापक श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2017/1215, दिनांक 04 मई, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

1. श्रीमती लीलावती पत्नि मातादीन	अध्यक्ष
2. श्रीमती मनीषा बाई पत्नि श्री भूपेन्द्र	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती वाईजू	सदस्य
4. श्रीमती कलावाई पत्नि हरिराम	सदस्य
5. श्रीमती रामवती वाई	सदस्य
6. श्रीमती विमला वाई	सदस्य
7. श्रीमती मनीषा वाई पत्नि रवि कुमार	सदस्य

(244)

शिवपुरी, दिनांक 12 जनवरी, 2018

**संशोधित आदेश**

क्र./परि./2017/160.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./705, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा रामसती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था आर्डर का परिसमापक श्री चमन सिंह, उप अंके., सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. के. द्विवेदी,  
उप पंजीयक.

(245)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा**

आगर-मालवा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1989.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/241, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरपोई (सुसनेर), तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 1075, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्षीय कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है. संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र सुसनेर द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीत केन्द्र सुसनेर की अनुशंसा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरपोई (सुसनेर), तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 1075, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्री बलवन्तसिंह/हिन्दूसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री ब्रजकुंवर/जीवनसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति गुडढीबाई/बसन्तिलाल	संचालक
4.	श्रीमति प्रेमबाई/कालूसिंह	संचालक
5.	श्री किशोर/मांगीलाल	संचालक
6.	श्रीमति हंसकुंवर/नारायणसिंह	संचालक
7.	श्री गोवर्धन/कान्हा	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(246)

आगर-मालवा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1990.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/240, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुईगांव, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 303, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्षीय कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है. संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र सुसनेर द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीत केन्द्र, सुसनेर की अनुशंसा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुईगांव, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 303, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्री करनसिंह/हिन्दूसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री कैलाशचन्द्र/लक्ष्मीनारायण	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति गीताबाई/मोहनसिंह	संचालक
4.	श्रीमति सौरमबाई/करणसिंह	संचालक
5.	श्रीमति गीताबाई/मोहनलाल	संचालक
6.	श्री कमलसिंह/माधोसिंह	संचालक
7.	श्री रूगनाथ/शिवलाल	संचालक
8.	श्री बाबूलाल/करणसिंह	संचालक
9.	श्री रतनलाल/शिवलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(247)

आगर-मालवा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1991.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/240, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 294, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्षीय कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है. संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र सुसनेर द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीत केन्द्र, सुसनेर की अनुशंसा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 294, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1	2	3
1.	श्री मांगीलाल/प्रभुलाल	अध्यक्ष
2.	श्री विक्रमसिंह/पदमसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रेमसिंह/दुलेसिंह	संचालक
4.	श्री भारतसिंह/सजनसिंह	संचालक
5.	श्री नाथूसिंह/सजनसिंह	संचालक
6.	श्रीमति पुष्पा/कुंवरसिंह	संचालक
7.	श्री राजेश/भेरूजी	संचालक
8.	श्री सुनील/दिनेश	संचालक
9.	श्री मनोहरसिंह/रतनसिंह	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(248)

श्वेता रावत,  
प्र. उप पंजीयक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 12 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अमर ज्योति प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB688/30-07-1994	2657/30-08-2017
2.	एमन प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB684/28-07-1994	2658/30-08-2017
3.	मेनका प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB608/07-07-1994	2695/30-08-2017
4.	नवजागृती प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB721/28-04-1994	2696/30-08-2017
5.	फराह प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB641/15-07-1994	1344/22-07-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर

मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(266)

आर. एस. उपाध्याय,  
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	बैकुष्ठी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/925/02-04-2007	2652/30-08-2017
2.	ताज सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/611/07-07-1984	2689/30-08-2017
3.	हंसमुख सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/513/17-01-1994	2690/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(267)

मनीषा चौरे,  
सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आबिदा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	705/05-08-1994	2712/30-08-2017
2.	प्रियकांता सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल	709/18-08-1994	2713/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(268)

ज्योति शिंगले,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अपना महिला उप. भण्डार मर्या., भोपाल	776/21-01-1998	2645/30-08-2017
2.	राशि उप. भण्डार मर्या., भोपाल	771/06-03-1993	2646/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(269)

एम. के. श्रीवास्तव,

सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 15 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महात्मा फूले क्रय-विक्रय स. स. मर्या.,	DRB/1094/02-07-2005	266/20-01-2017

1	2	3	4
2.	अप्सरा औद्योगिक सह. सं. मर्या.,	DRB/1022/21-12-2004	228/20-01-2017
3.	उज्ज्वला प्रा. उप. भण्डार	ARB/323/26-02-1991	परि./16/2718/18-11-2016
4.	तिलहन उत्पा. सह. सं., मिसरोद	198/10-11-1983	परि./16/2718/18-11-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(270)

अखिलेश नैन,  
सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	स्वदेशी सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	720/24-08-1994	2704/30-08-2017
2.	दी ग्रेट महिला सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	674/26-07-1994	2705/30-08-2017
3.	न्यू शहर सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	614/08-07-1994	2706/30-08-2017
4.	वर्षा महिला सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	615/08-07-1994	2707/30-08-2017
5.	दुर्गा महिला सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	655/18-07-1994	2708/30-08-2017
6.	गरिमा महिला सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	717/28-09-1994	2709/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(271)

रीता मिश्र,  
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय कृषि इंजीनियर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	डी.आर.बी./274/23-11-1982	1344/22-07-2015
2.	मामू श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	डी.आर.बी./413/15-06-1984	1344/22-07-2015
3.	इंदिरा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	54/26-03-1976	1344/22-07-2015
4.	अमूल सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ए.आर.बी./551/04-06-1994	2700/30-08-2017
5.	जनसेवा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ए.आर.बी./920/14-03-2007	2701/30-08-2017
6.	माँ शारदा महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ए.आर.बी./552/06-04-1994	2702/30-08-2017
7.	महाभारत सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ए.आर.बी./714/16-08-1994	2703/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(272)

**राजीव जैन,**  
सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 12 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला शक्ति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ए.आर.बी.623/11-07-1994	2698/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं



संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(273)

अमरदेश पांडे,  
सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 15 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नवदुर्गेश सह. उप. भण्डार	ARB 741/31-10-1994	2666/30-08-2017
2.	स्मृति सह. उप. भण्डार	ARB 753/19-10-1994	2667/30-08-2017
3.	आदर्श सह. उप. भण्डार	ARB 1086/19-09-2007	2668/30-08-2017
4.	न्यू स्वाति सह. उप. भण्डार	ARB 745/12-10-1994	2669/30-08-2017
5.	माँ महामाया सह. उप. भण्डार	ARB 910/19-06-2002	2670/30-08-2017
6.	शालीमार सह. उप. भण्डार	ARB 620/08-07-1994	4054/20-10-2011

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(274)

सुविता,  
उप-अंकक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 15 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नव सपना सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB 742/13-10-1994	2691/30-08-2017

1	2	3	4
2.	न्यू प्रगतिशील सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB 744/13-10-1994	2692/30-08-2017
3.	मानव महिला सह. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ARB 1090/08-10-2007	2693/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(275)

मीरा देवी,  
उप अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	कंगना सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB 943/15-06-2007	2678/30-08-2017
2.	उमंग सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB 632/13-07-1994	853/28-03-2014
3.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., भैंसोदा	ARB 260/23-10-1986	1379/01-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(276)

अलका तिग्गा,  
सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नवा महिला उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	706/05-08-1994	1344/22-07-2015

1	2	3	4
2.	करण सहकारी उपभोक्ता मण्डार मर्या., भोपाल	628/12-07-1994	2665/30-08-2017
3.	अंजू महिला बहुउद्देशीय स. सं. भण्डार मर्या., डुगरिया भोपाल	951/01-10-2003	294/20-01-2017
4.	माँ जगदम्बा महिला बहुउद्देशीय स. सं., लोबाखेड़ा	952/22-07-2009	292/20-01-2017
5.	निधि महिला बहुउद्देशीय स. सं., मर्या., दामखेड़ा	996/08-07-2004	301/20-01-2017
6.	सीता महिला बहुउद्देशीय स. सं. मर्या., बरी भोपाल	997/10-09-2004	283/20-01-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(277)

अशोक शर्मा,  
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 12 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	पूनम महिला सह. उपभोक्ता भण्डार, भोपाल	510/28-03-1994	2710/30-08-2017
2.	राष्ट्रीय महिला सह. उपभोक्ता भण्डार, भोपाल	515/30-04-1994	2711/30-08-2017
3.	एकता उद्योग सहकारी संस्था, भोपाल	141/21-08-1981	1344/22-07-2015
4.	श्रमिक कामगारों की औद्योगिक सहकारी संस्था, भोपाल	140/19-08-1981	851/28-03-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(278)

कैलाश बगरैया,  
सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रा. सूबी सहकारी उप. भण्डार, भोपाल	788/27-06-1995	2671/30-08-2017
2.	प्रा. रितु सहकारी उप. भण्डार, भोपाल	790/17-07-1995	2672/30-08-2017
3.	प्रा. न्यू कल्याणी सह. उप. भण्डार, भोपाल	987/07-08-1995	2673/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(279)

एस. के. सनमारे,  
उप. अंकेक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 15 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	शैलानी सह. उपभो. भण्डार मर्या., भोपाल	584/16-06-1994	2674/30-08-2017
2.	न्यू श्वेता सह. उपभो. भण्डार मर्या., भोपाल	585/19-06-1994	2675/30-08-2017
3.	सपना सह. उपभो. भण्डार मर्या., भोपाल	534/24-03-1994	2676/30-08-2017
4.	सुचिता सह. उपभो. भण्डार मर्या., भोपाल	973/03-03-2004	2677/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(280)

पंकज श्रीवास्तव,  
उप. अंकेक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 17 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जूही महिला प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., भोपाल	665/27-07-1994	2664/30-08-2017
2.	श्रमिक बुनकर सह. संस्था मर्या., भोपाल	67/02-12-1977	1344/22-07-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(281)

**बी. एल. छाबड़ा,**  
सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के आदेश द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नानक टेकरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल.	ए. आर. बी/730 दिनांक 11-09-1991	संशो. आदेश क्र. परि./2017/ 1344, दिनांक 22-07-2015.
2.	श्री उत्कृष्ट काष्ठ शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	ए. आर. बी/112 दिनांक 04-02-1981	संशो. आदेश क्र. परि./2017/ 1344, दिनांक 22-07-2015.
3.	शासकीय हमीदिया सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ए. आर. बी/769 दिनांक 22-02-1995	क्र. परि./2017/2662/ दिनांक 30-08-2017.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(282)

**मुकुन्द राव भैसारे,**  
उप अंकेशक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 16 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, तूमड़ा	225/17-10-1984	1365/01-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(283)

संगीता मीना,  
उप अंकेशक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 16 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	धर्म निरपेक्ष महिला उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	ARB/691/01-08-1994	1344/22-07-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(284)

वाय. के. वर्मा,  
वरि. सह. निरी.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

दिनांक 16 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	गायत्री कर्मश्री सह. उप. भण्डार	994/06-08-2004	2684/30-08-2017
2.	शबरी प्राथ. उप. सह., भण्डार	818/29-04-1999	2685/30-08-2017
3.	न्यू सुन्दरम सह. उप., भण्डार	1008/01-10-2010	2686/30-08-2017
4.	सोनू महिला प्राथ. उप., भण्डार	1008/01-10-2010	2686/30-08-2017
5.	न्यू कविता सह. उप. भण्डार	690/08-01-1994	2688/30-08-2017
6.	महिला बुनकर सह. संस्था मर्या.	273/28-03-1987	1234/31-03-2001
7.	न्यू ज्योति महिला प्रा. उप. भण्डार	4033/10-10-2010	2720/18-11-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(285)

पी. एफ. चिल्ले,  
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ानाथू	एआरबी/243, दिनांक 20-11-1985	2723/18-11-2016
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीपड़ी	एआरबी/197, दिनांक 10-11-1983	2723/18-11-2016
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुगालियाछाप	एआरबी/220, दिनांक 12-10-1984	2723/18-11-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनाहा	एआरबी/261, दिनांक 23-10-1986	2723/18-11-2016

1	2	3	4
5.	त्रिलंगाना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	एआरबी/754, दिनांक 19-10-1994	2648/30-08-2017
6.	बतरा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	एआरबी/736, दिनांक 03-09-1994	2647/30-08-2017
7.	माँ पार्वती सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	एआरबी/661, दिनांक 18-07-1994	2694/30-08-2017
8.	मिना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	एआरबी/659, दिनांक 18-07-1994	2699/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(286)

एच. एन. वर्मा,  
परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 15 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	मार्डन टेलरिंग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ARB/111/09-09-1960	1344/22-07-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(287)

विनोद बांगरे,  
वरि. सह. निरी.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत



परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	फलक सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	938/28-05-2007	2649/30-08-2017
2.	सना सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	516/02-05-1994	2650/30-08-2017
3.	सुरभिका सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	546/28-09-1994	2680/30-08-2017
4.	भारत महिला सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	1194/28-05-1994	2681/30-08-2017
5.	मंजू सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	975/28-04-2010	2882/30-08-2017
6.	अनन्य सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल	972/26-04-1987	2683/30-08-2017
7.	भारत माइनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज सह., भोपाल	287/24-12-1964	1344/22-07-2015
8.	अखाद्य तेल साबुन एवं ग्रामोद्योग सह., भोपाल	426/13-03-1970	1344/20-07-2015
9.	खदान मजदूर सह. संस्था मर्या., भोपाल	39/25-02-1975	2889/31-07-2010

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(288)

गोविन्दसिंह मकवाना,  
सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक, 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	मून लाईट प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल	523/26-05-1994	2653/30-08-2017
2.	इन्द्रा सहकारी उप. सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल	823/29-05-1994	2654/30-08-2017
3.	देवी अहिल्या प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल	783/27-05-1995	2655/30-08-2017
4.	अगर ज्योति प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल	688/30-07-1994	2657/30-08-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने

के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(289)

आर. के. कातुलकर,

उप-अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक, 18 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जिला भोपाल	1342/31-03-2001	1344/22-07-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(290)

मनोज श्रीवास्तव,

सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक, 17 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था, इस्तामनगर	242/18-11-1985	2889/31-07-2010
2.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था, नजीराबाद	279/08-07-1987	2718/18-11-2016
3.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था, सोहाया	280/09-07-1987	1409/05-06-2013
4.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था, रतुआरतनपुर	285/27-10-1987	1366/01-06-2013

1	2	3	4
5.	इन्डीयन ईंधन सह. संस्था मर्या., भोपाल	879/24-06-2005	243/20-01-2017
6.	उमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, जैतपुरा	964/30-12-2003	322/20-01-2017
7.	माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, बगरोदा	967/28-01-2010	299/20-01-2017
8.	रागिनी ईंधन सहकारी संस्था, भोपाल	1057/05-07-2005	254/20-01-2017
9.	शिव ईंधन सहकारी संस्था, भोपाल	1070/11-07-2005	256/20-01-2017
10.	चित्रपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था, भोपाल	1075/12-07-2005	259/20-01-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(291)

विलीन खटावकर,  
सहकारिता निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक, 16 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	एम. ई. एस. कर्म. साख मर्या., भोपाल	39/27-07-1975	1344/22-07-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार ने सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी. दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(293)

डी. के. गुप्ता,  
सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवधर राजपुरा

पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 22 जून, 2015 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती अनिता मेहरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवधर राजपुरा का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्रीमती अनिता मेहरा को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लम्बित अंकेक्षण पूर्ण कराये एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(250)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोना पंजीयन क्रमांक 660, दिनांक 25 अगस्त, 1988 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोना का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री संजय देवलालीकर को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लम्बित अंकेक्षण पूर्ण कराये एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(251)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 10 मई, 2007 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लम्बित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(252)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र 818, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 द्वारा आशा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 4192, दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी. एस. बाल्के, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(253)

महिमा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 13 मार्च, 2001 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7-क)(ख) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1606, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2476, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिमा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 13 मार्च, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मंजुलता अग्रवाल, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(254)

ज्वालादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 15 फरवरी, 2012 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण कार्यालय सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1607, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था अध्यक्ष के पत्र के

आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2477, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्वालादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 15 फरवरी, 2012 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(255)

विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 03 सितम्बर, 1979 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1144, दिनांक 13 जुलाई, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2569, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। संस्था की ओर से संस्था अध्यक्ष के आवेदन में जबाब प्रस्तुत किया गया है कि संस्था के सदस्य अब संस्था को नहीं चलाना चाहते हैं। संस्था द्वारा आपनी उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति की जा चुकी है। अतः संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 03 सितम्बर, 1979 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. के. गुप्ता, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(256)

कर्णेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार करनावद पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 03 सितम्बर, 1980 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1924, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था को अकार्यशील होना बताया है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2473, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्णेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार करनावद पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 03 सितम्बर, 1980 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत सुश्री संघ मित्रा मानवेटकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(257)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या मोहबा पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 20 जनवरी, 2000 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1950,

दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था सचिव के पत्र के आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2472, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या मोहवा पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 20 जनवरी, 2000 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विवेक व्यास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(258)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंगावदा. पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 06 सितम्बर, 1980 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1911, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था सचिव के पत्र के आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2474, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंगावदा पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 06 सितम्बर, 1980 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. रजावत, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(259)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्खी पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 04 जून, 1984 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1909, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2470, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्खी पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 04 जून, 1984 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(260)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांडी पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 01 सितम्बर, 1990 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1930, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है. संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था सचिव के पत्र के आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2553, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांडी पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 01 सितम्बर, 1990 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निंगवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(261)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोकिलाखेडी पंजीयन क्रमांक 1126, दिनांक 15 मई, 2006 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1954, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है. संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2475, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोकिलाखेडी, पंजीयन क्रमांक 1126, दिनांक 15 मई, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. के. दन्देलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(262)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी

संस्था मर्या., जमोनिया.

जय माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोनिया जिसका पंजीयन क्रमांक 1559, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है. संस्था के निर्वाचन अधिकारी के आवेदन अनुसार संचालक मण्डल के नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को संस्था में उपस्थित हुए किंतु किसी भी सदस्य के द्वारा निर्धारित समय में नामांकन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसका पंचनामा तैयार किया गया है. पंचनामा अनुसार संस्था अकार्यशील होकर संस्था के कार्यव्यवसाय के प्रति कोई रुचि नहीं होना बताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.



अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 13 फरवरी, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।  
(263)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जिला राजस्व तृतीय एवं चतुर्थ-श्रेणी

साख सहकारी संस्था मर्या., देवास.

जिला राजस्व तृतीय एवं चतुर्थ-श्रेणी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 247, दिनांक 17 फरवरी, 1973 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1613, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक के आवेदन अनुसार वर्तमान में संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं, एवं संस्था सदस्य संस्था को चलाने में रूचि नहीं रखते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 13 फरवरी, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज जायसवाल

उप पंजीयक.

(264)

### कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/370.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मालव महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बॉगडदा	-	700/23-06-2017
2.	मौ शारदा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., लिम्बोदी	1550/24-02-1995	700/23-06-2017

1	2	3	4
3.	चन्दा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	2163/20-01-2004	700/23-06-2017
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर प्राथ. उप. सह. भं. मर्या., इन्दौर	301/05-01-1966	700/23-06-2017
5.	अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1839/06-02-1997	700/23-06-2017
6.	श्री अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1608/28-07-1994	700/23-06-2017
7.	नवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2262/06-11-2006	700/23-06-2017
8.	गीतांजली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2276/01-12-2006	700/23-06-2017
9.	शहीद भगतसिंह ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2263/06-11-2006	700/23-06-2017
10.	माँ भारती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2267/15-11-2006	700/23-06-2017
11.	सार्वजनिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2261/02-11-2006	700/23-06-2017
12.	ऊँ विश्वरूपेण ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2196/06-12-2005	700/23-06-2017
13.	मालवीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2260/02-11-2006	700/23-06-2017
14.	गुरुकृपा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2259/02-11-2006	700/23-06-2017
15.	केशरीनंदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2272/29-11-2006	700/23-06-2017
16.	राजलक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2245/30-10-2006	700/23-06-2017
17.	आदिनाथ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2247/24-10-2006	700/23-06-2017
18.	सुरक्षा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2293/28-12-2006	700/23-06-2017
19.	जोबनेर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2313/01-03-2007	700/23-06-2017
20.	अर्पिता ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2246/23-10-2006	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावन् होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 08 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(311)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/371.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र

क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दीक्षा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1935/24-02-1999	700/23-06-2017
2.	राधाकिशन महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	2140/19-11-2004	700/23-06-2017
3.	साक्षी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	2173/09-03-2005	700/23-06-2017
4.	माँ नर्मदा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., तेलीखेडी	2365/07-03-2008	700/23-06-2017
5.	माँ लक्ष्मी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महुगाँव	2444/14-04-2010	700/23-06-2017
6.	साँई कृपा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., सुतारखेडी	2441/05-06-2010	700/23-06-2017
7.	माँ कालका प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., रसलपुरा, महु	2500/27-04-2011	700/23-06-2017
8.	पायल प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., साँवेर	2318/02-04-2007	700/23-06-2017
9.	ओम शिव गुरुदेव प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., साँवेर	2461/15-09-2010	700/23-06-2017
10.	जय माता दी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., देपालपुर	2337/08-03-2010	700/23-06-2017
11.	श्रीराम प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बेटमा	2453/17-08-2010	700/23-06-2017
12.	बालाजी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बेटमा	2468/14-12-2010	700/23-06-2017
13.	लक्ष्य प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बेटमा	2469/24-12-2010	700/23-06-2017
14.	शरण्य प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., रोलाया, बेटमा	2472/31-12-2010	700/23-06-2017
15.	मेहंदीपुर बालाजी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., देपालपुर	2589/20-05-2013	700/23-06-2017
16.	माँ बिजासन प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., देपालपुर	2570/20-05-2013	700/23-06-2017
17.	जय माँ कैलादेवी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., राउ	2434/09-02-2010	700/23-06-2017
18.	श्रमिक प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., राउ	2543/23-03-2010	700/23-06-2017
19.	जीवन संग्रहमठ प्रा. उप. सह. भं मर्या., वॉर्ड नं. 10, राउ	1513/16-06-1994	700/23-06-2017
20.	राउ महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., राउ	1582/03-01-1995	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावन् होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 09 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/372.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री रमेश महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1476/09-06-1994	700/23-06-2017
2.	महालक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2360/14-03-2008	700/23-06-2017
3.	महारानी लक्ष्मीबाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2369/14-03-2008	700/23-06-2017
4.	श्री गणेश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2507/24-05-2011	700/23-06-2017
5.	माँ भगवती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2767/18-02-2015	700/23-06-2017
6.	श्री सत्यसाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2510/16-06-2011	700/23-06-2017
7.	माँ शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1322/27-05-2003	700/23-06-2017
8.	आशा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1647/26-08-1994	700/23-06-2017
9.	महिला जागृति महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1649/26-08-1994	700/23-06-2017
10.	हर्षिता महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1458/07-06-1994	700/23-06-2017
11.	पिछड़ा वर्ग महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1639/24-06-1994	700/23-06-2017
12.	स्नेह महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1655/22-08-1994	700/23-06-2017
13.	माँ अहिल्या महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1669/01-11-1994	700/23-06-2017
14.	अग्रसेन महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1670/01-11-1994	700/23-06-2017
15.	आदर्श महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1755/30-12-1995	700/23-06-2017
16.	संगीता महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1263/20-05-1994	700/23-06-2017
17.	महालक्ष्मी महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1660/30-09-1994	700/23-06-2017
18.	दिपीका महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1303/18-11-1995	700/23-06-2017
19.	माँ वैष्णव महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1914/01-08-1998	700/23-06-2017
20.	स्टेशनरी क्रय-विक्रय महिला प्राथ. उप. भं. मर्या., महु	1198/09-09-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावन् होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं

करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 12 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(313)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/373.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ पावागढवाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1291/20-10-1994	700/23-06-2017
2.	भादवा माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1332/20-05-1994	700/23-06-2017
3.	माँ अन्नपूर्णेश्वरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1262/20-05-1994	700/23-06-2017
4.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1220/03-06-1994	700/23-06-2017
5.	श्री गणेश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1478/09-06-1994	700/23-06-2017
6.	वीणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1493/13-06-1994	700/23-06-2017
7.	माँ उत्तरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1216/20-05-1994	700/23-06-2017
8.	माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1221/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	आशादीप महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1274/20-06-1994	700/23-06-2017
10.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1316/26-05-1994	700/23-06-2017
11.	श्री नवशक्ति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1405/02-06-1994	700/23-06-2017
12.	अर्चना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1421/03-06-1994	700/23-06-2017
13.	जय अम्बे महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1435/04-06-1994	700/23-06-2017
14.	धनलक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1451/01-06-1994	700/23-06-2017
15.	प्रेरणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1470/07-10-1994	700/23-06-2017
16.	पुष्पक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1578/07-07-1994	700/23-06-2017
17.	अनु. जन जाति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1231/20-05-1994	700/23-06-2017
18.	गरिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1234/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	माँ भगवती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1252/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1403/02-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावन् होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 13 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(314)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/374.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ वैष्णवदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1690/24-10-1995	700/23-06-2017
2.	जय विजय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1313/26-05-1994	700/23-06-2017
3.	शिव महिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1319/26-05-1994	700/23-06-2017
4.	संकट मोचन हनुमान महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1320/26-05-1994	700/23-06-2017
5.	छाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1357/27-05-1994	700/23-06-2017
6.	अनुपम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1502/15-06-1994	700/23-06-2017
7.	शंकर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1702/07-02-1995	700/23-06-2017
8.	वासु महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1714/28-02-1994	700/23-06-2017
9.	जय संतोषी माँ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1453/07-06-1994	700/23-06-2017
10.	तरुण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1310/26-05-1994	700/23-06-2017
11.	रंजीता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1365/27-05-1994	700/23-06-2017
12.	अनु. जाति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1825/18-03-1997	700/23-06-2017
13.	लक्ष्मीबाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2354/04-02-2008	700/23-06-2017
14.	माँ अंजली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1258/20-05-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
15.	माँ तारादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1327/26-05-1994	700/23-06-2017
16.	शुभ लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1449/04-06-2004	700/23-06-2017
17.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1484/10-06-1994	700/23-06-2017
18.	सपना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1613/30-07-1994	700/23-06-2017
19.	श्री शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1685/20-01-1995	700/23-06-2017
20.	मनमीत महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1664/11-10-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेंक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावन् होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 15 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(315)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/376.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1281/20-05-1994	700/23-06-2017
2.	प्रगतिशील महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1381/27-05-1994	700/23-06-2017
3.	निमिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1335/27-05-1994	700/23-06-2017
4.	महावीर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1336/27-05-1994	700/23-06-2017
5.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1359/27-05-1994	700/23-06-2017
6.	माया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1557/25-06-1994	700/23-06-2017
7.	जय करोली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1594/19-07-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
8.	देवी इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1278/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	लिली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1627/10-08-1994	700/23-06-2017
10.	एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1455/07-05-1994	700/23-06-2017
11.	गरिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1591/15-07-1994	700/23-06-2017
12.	चन्द्रकान्ता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1392/26-05-1994	700/23-06-2017
13.	शीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1517/16-06-1994	700/23-06-2017
14.	माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1991/12-07-2000	700/23-06-2017
15.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1297/20-05-1994	700/23-06-2017
16.	माँ भवानी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1523/20-06-1994	700/23-06-2017
17.	मुस्कान महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2349/14-01-2008	700/23-06-2017
18.	माँ वैष्णव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1208/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	दिपीका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1333/27-05-1994	700/23-06-2017
20.	माँ नारायणीदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1506/15-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 20 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(316)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/375.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गरीब नवाज महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1678/20-01-1995	700/23-06-2017



1	2	3	4
2.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1456/07-06-1994	700/23-06-2017
3.	दामोदर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1254/20-05-1994	700/23-06-2017
4.	लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1495/14-06-1994	700/23-06-2017
5.	आरती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1584/11-07-1994	700/23-06-2017
6.	सेवक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1623/10-08-1994	700/23-06-2017
7.	पल्लवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1653/03-07-1994	700/23-06-2017
8.	माँ चण्डिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1238/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1270/20-06-1994	700/23-06-2017
10.	माला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1346/27-05-1994	700/23-06-2017
11.	साक्षी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2429/30-12-2009	700/23-06-2017
12.	मानसी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1371/27-05-1994	700/23-06-2017
13.	आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1416/03-06-1994	700/23-06-2017
14.	महालक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1409/13-06-1994	700/23-06-2017
15.	रोहित महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1323/26-05-1994	700/23-06-2017
16.	मालीपुरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1300/01-06-2004	700/23-06-2017
17.	जयहिन्द महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1402/02-06-1994	700/23-06-2017
18.	मोहिनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1454/07-06-1994	700/23-06-2017
19.	अभिषेक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1676/01-02-1995	700/23-06-2017
20.	माधव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2360/14-02-2008	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(317)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/377.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र

क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ पावागढ़ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1315/26-05-1994	700/23-06-2017
2.	माँ ज्वाला जी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1338/27-05-1994	700/23-06-2017
3.	खुशबू महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1342/27-05-1994	700/23-06-2017
4.	राहुल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1370/27-05-1994	700/23-06-2017
5.	माँ गायत्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1394/01-06-1994	700/23-06-2017
6.	श्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1397/04-06-1994	700/23-06-2017
7.	माँ वैष्णोदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1441/04-06-1994	700/23-06-2017
8.	दिपीका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1514/16-06-1994	700/23-06-2017
9.	श्री कृपा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1611/27-07-1994	700/23-06-2017
10.	जयश्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1694/22-01-1995	700/23-06-2017
11.	पूजा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1218/20-05-1994	700/23-06-2017
12.	श्री महाकाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1260/20-05-1994	700/23-06-2017
13.	महादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1317/26-05-1994	700/23-06-2017
14.	दिव्यांश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1414/03-06-1994	700/23-06-2017
15.	पूज्य दुर्गादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1276/20-05-1994	700/23-06-2017
16.	जनसेवा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1491/13-06-1994	700/23-06-2017
17.	निर्माण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2151/07-06-1994	700/23-06-2017
18.	यादव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1244/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	कपिल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1295/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	रजनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1460/07-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों

एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(318)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/378.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1569/01-07-1994	700/23-06-2017
2.	अपना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1354/27-06-1994	700/23-06-2017
3.	जय बजरंग महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1374/27-05-1994	700/23-06-2017
4.	सुमन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1387/27-05-1994	700/23-06-2017
5.	माँ वैष्णोदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1398/01-06-1994	700/23-06-2017
6.	जागेश्वरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1576/07-07-1994	700/23-06-2017
7.	श्रमिक क्षेत्र महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1637/18-08-1994	700/23-06-2017
8.	माँ कौशल्या देवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1275/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	जागृति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1442/04-06-1994	700/23-06-2017
10.	आकृति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1385/27-05-1994	700/23-06-2017
11.	किरण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1528/23-05-1994	700/23-06-2017
12.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1606/25-07-1994	700/23-06-2017
13.	समृद्धि महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1463/07-06-1994	700/23-06-2017
14.	सुरभी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1697/01-02-1994	700/23-06-2017
15.	प्रगति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1243/02-05-1994	700/23-06-2017
16.	गीता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1246/02-05-1994	700/23-06-2017
17.	शुभलक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1298/20-05-1994	700/23-06-2017
18.	माँ शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1474/09-06-1994	700/23-06-2017
19.	ईंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1255/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	अग्रसेन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., छावनी इन्दौर	1363/07-05-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत

रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 22 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(319)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/379.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	भारत माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1248/20-05-1994	700/23-06-2017
2.	अग्रोहा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1521/22-06-1994	700/23-06-2017
3.	श्री लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2363/15-02-2008	700/23-06-2017
4.	मृगनयनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1266/20-05-1994	700/23-06-2017
5.	रत्न महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1431/04-06-1994	700/23-06-2017
6.	निकिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1601/19-07-1994	700/23-06-2017
7.	भावना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1675/28-12-1994	700/23-06-2017
8.	वैदिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2348/14-01-2008	700/23-06-2017
9.	अग्रसेन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1245/20-05-1994	700/23-06-2017
10.	माँ गायत्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1433/04-06-1994	700/23-06-2017
11.	जय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1534/25-06-1994	700/23-06-2017
12.	महामाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1311/26-05-1994	700/23-06-2017
13.	माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1559/25-05-1994	700/23-06-2017
14.	सपना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1223/20-05-1994	700/23-06-2017
15.	ईंदिरा प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1581/08-07-1994	700/23-06-2017
16.	अर्चना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2350/17-01-2008	700/23-06-2017

1	2	3	4
17.	भाग्यश्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1292/20-05-1994	700/23-06-2017
18.	जीण माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1304/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	गीतेश्वरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1393/27-05-1994	700/23-06-2017
20.	दिपीका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1462/07-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(320)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/380.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री कृष्ण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1715/28-03-2005	700/23-06-2017
2.	भारतीय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1331/27-08-1994	700/23-06-2017
3.	अरूणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1446/04-06-1994	700/23-06-2017
4.	माँ अहिल्या महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1717/08-03-1995	700/23-06-2017
5.	भारतीय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1283/20-05-1994	700/23-06-2017
6.	भागीरथी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1430/04-06-1994	700/23-06-2017
7.	एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1638/14-08-1994	700/23-06-2017
8.	श्री साईराम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2355/04-02-2008	700/23-06-2017
9.	केशव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2358/12-02-2006	700/23-06-2017

1	2	3	4
10.	श्रीराम कृपा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2388/13-02-2008	700/23-06-2017
11.	नवजीवन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1200/20-05-1994	700/23-06-2017
12.	माँ वैष्णवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1211/20-05-1994	700/23-06-2017
13.	प्राची महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1352/27-05-1994	700/23-06-2017
14.	माँ चामुण्डा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1401/02-06-1994	700/23-06-2017
15.	सद्भावना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1418/03-06-1994	700/23-06-2017
16.	सप्तशती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1432/04-06-1994	700/23-06-2017
17.	जयश्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1565/01-07-1994	700/23-06-2017
18.	शीतल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1215/02-05-1994	700/23-06-2017
19.	महॉकाल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1264/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	शीतलामाता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1364/27-05-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(321)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/381.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रमेश महिला प्राथ. उप. भण्डार, सोनवाय/पिवडाय	2474/12-01-2011	700/23-06-2017
2.	श्री श्रद्धा प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., छोटा बाँगडवा	2487/09-02-2011	700/23-06-2017

1	2	3	4
3.	तरंग प्राथमिक सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2522/13-03-2012	700/23-06-2017
4.	गुरुदेव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2564/31-12-2012	700/23-06-2017
5.	श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2565/31-12-2012	700/23-06-2017
6.	जय श्रीकृष्ण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2566/31-12-2012	700/23-06-2017
7.	माँ अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., मूसाखेड़ी	2621/23-05-2013	700/23-06-2017
8.	सौम्य प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., प्रजापत नगर	2642/20-02-2013	700/23-06-2017
9.	जनकार्य प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
10.	हुकुमचन्दमिल्स कर्मचारी परस्पर स. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
11.	माँ काली महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1210/20-05-1994	700/23-06-2017
12.	प्रियदर्शनी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1226/20-05-1994	700/23-06-2017
13.	जयबजरंग नगर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1294/20-05-1994	700/23-06-2017
14.	श्री विनायक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1299/20-05-1994	700/23-06-2017
15.	माँ सती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1302/20-05-1994	700/23-06-2017
16.	माँ आवरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1485/10-06-1994	700/23-06-2017
17.	कराल वन्दन (नवज्योति) म. प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1516/16-06-1994	700/23-06-2017
18.	मंजू महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1355/25-06-1994	700/23-06-2017
19.	वन्दना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1352/01-06-2004	700/23-06-2017
20.	श्री अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1008/29-07-1944	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(322)

इन्दौर, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2018/382.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र

क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय माँ दुर्गा प्राथमिक भण्डार मर्या., देपालपुर	2143/08-03-2000	700/23-06-2017
2.	जय गिरनारी प्राथमिक भण्डार मर्या., इन्दौर	2359/12-02-2008	700/23-06-2017
3.	लक्ष्मी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2317/30-03-2007	700/23-06-2017
4.	मर्यादा पुरुषोत्तम प्राथमिक भण्डार मर्या., इन्दौर	2181/11-10-2005	700/23-06-2017
5.	मध्यभारत को-ऑप. कन्ज्युमर्स स्टोर, इन्दौर	2132/19-12-2003	700/23-06-2017
6.	प्रताप को-ऑप स्टोर मर्या., इन्दौर	206/26-03-1963	700/23-06-2017
7.	पुरुषार्थ प्राथमिक उप भण्डार मर्या., इन्दौर	2373/15-04-2008	700/23-06-2017
8.	ऋषि पैलेस प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2367/14-03-2008	700/23-06-2017
9.	गुरु गोरक्षनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2327/24-07-2007	700/23-06-2017
10.	संजरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2339/28-07-2007	700/23-06-2017
11.	स्वस्तिक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2362/05-02-2008	700/23-06-2017
12.	सुशीलादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2186/10-01-2005	700/23-06-2017
13.	शिवशक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2366/12-03-2008	700/23-06-2017
14.	श्रवण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2371/24-03-2008	700/23-06-2017
15.	श्री साईनाथजी महाराज प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2390/29-01-2009	700/23-06-2017
16.	सद्गुरु दत्त प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2494/29-01-2009	700/23-06-2017
17.	माँ दुर्गाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2439/19-03-2010	700/23-06-2017
18.	यश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2142/27-02-2004	700/23-06-2017
19.	अहिरखेडी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., अहिरखेडी	2383/30-08-2008	700/23-06-2017
20.	माँ कल्याणी प्राथ. उप. भण्डार मर्या., छोटा बाँगडदा	2462/16-09-2010	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 28 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समस्त समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.



इन्दौर, दिनांक 07 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/383.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आयुषी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2248/28-10-2006	700/23-06-2017
2.	ज्वाला ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2249/26-10-2006	700/23-06-2017
3.	माँ काली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2258/02-11-2006	700/23-06-2017
4.	महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2207/12-12-2005	700/23-06-2017
5.	सेनालिका ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2257/01-11-2006	700/23-06-2017
6.	ईशा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2201/12-12-2005	700/23-06-2017
7.	जनहित ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2251/27-10-2006	700/23-06-2017
8.	स्वदेशी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2211/12-12-2005	700/23-06-2017
9.	अरूणोदय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2210/12-12-2005	700/23-06-2017
10.	माँ अन्नपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2312/26-07-2007	700/23-06-2017
11.	शिवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2194/01-12-2005	700/23-06-2017
12.	राजेश्वरी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2208/12-12-2005	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 20 मार्च, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

अभय खरे  
संयुक्त पंजीयक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी, 2018

**सार्वजनिक सूचना**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2017/2825, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालखेड़ी	815/28-12-1988	2384/04-12-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुनईखालसा	1998/01-01-2015	578/25-02-2016

अतः मैं, एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. पी. बहोरे,

परिसमापक.

(307)

**कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदियाखुर्द एवं नौगाँवा****सार्वजनिक सूचना**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/3561, उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदिया खुर्द	2246/30-09-1995	3561/08-12-2016
2.	दुग्ध सहकारी संस्था, नौगाँवा	2256/05-10-2015	3561/08-12-2016

अतः मैं, मोनिका सक्सेना, परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसके दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

मोनिका सक्सेना,  
परिसमापक.

(308)

### कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12) के अंतर्गत]

क्र./उपछि/परि./2018/276.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपछि/परिसमापन/2004/634, दिनांक 02 अगस्त, 2002 के द्वारा नीलकमल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, नोनियाकरबल छिन्दवाड़ा (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर/सी. डब्ल्यू. ए/ 419, दिनांक 07 जुलाई, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री मो. आरिफ कुरैशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिछुआ द्वारा उक्त सोसायटी को पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 19 जनवरी, 2018 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री मो. आरिफ कुरैशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिछुआ ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपछि/परिसमापन/634, दिनांक 02 अगस्त, 2002 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार है:-

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. श्री आर. एस. दुबे         | अध्यक्ष   |
| 2. श्रीमति मंजुला प्रदीप जैन | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री नंदकिशोर पाल         | उपाध्यक्ष |
| 4. श्री जे. आर. बल्लारखेड़े  | संचालक    |
| 5. श्री मदन जोशी             | संचालक    |
| 6. श्री राकेश चौकसे          | संचालक    |
| 7. श्रीमति अमिता प्रमोद जैन  | संचालक    |
| 8. श्री ओम नारायण शर्मा      | संचालक    |

- |     |                          |        |
|-----|--------------------------|--------|
| 9.  | श्री आर. के. नेमा        | संचालक |
| 10. | श्री व्ही. एस. सिंगोतिया | संचालक |
| 11. | श्री बी. एल. शर्मा       | संचालक |

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(309)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12) के अंतर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2018/277.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपछि/परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोंडरा (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर/सी. डब्ल्यू. ए/ 427, दिनांक 14 दिसम्बर, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री आर. एन. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा द्वारा उक्त सोसायटी को पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री आर. एन. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार है:-

- |    |                          |           |
|----|--------------------------|-----------|
| 1. | श्री होरीलाल वर्मा       | अध्यक्ष   |
| 2. | श्री छुट्टीलाल अहरवाल    | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री अरविंद यादव         | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्री बन्दू वर्मा         | संचालक    |
| 5. | श्री ओमकार वर्मा         | संचालक    |
| 6. | श्री द्वारका साहू        | संचालक    |
| 7. | श्री तेजी लाल विश्वकर्मा | संचालक    |
| 8. | श्री महेश कुमार डेहरिया  | संचालक    |
| 9. | श्रीमति मंथरा बाई        | संचालक    |

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

जी. एस. डेहरिया,  
उप-पंजीयक.

(310)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018-फाल्गुन 4, शके 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के जिलों की निर्माकित तहसीलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, सबलगढ़ (मुरैना), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, रौन-मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राधौगढ़ (गुना), वलदेवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, गढ़ाकोटा (सागर), मझगावां, उचेहरा, मैहर, विरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, रामपुरकचुलियान (रीवा), जयसिंहनगर, बुढार, गोहपारू (शहडोल), कोतमा, जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), कुसमी, चुरहट (सीधी), भानपुरा, गरौठ, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), जावद, मनासा (नीमच), जावरा, सैलाना, बाजना, रावटी, पिपलोदा (रतलाम), शुजालपुर, मोमनबडोदिया, गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, हाटपिपल्या, सतवास (देवास), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, सोंण्डवा, उदयगढ़, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, डही (धार), देपालपुर (इन्दौर), खरगौन, बड़वाह, सेगांव, गोगावां, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, पानसेमल, पाटी, निबाली (बड़वानी), पुनासा, पंधाना (खण्डवा), खकनार (बुरहानपुर), खिलचीपुर, सारंगपुर, पचौर (रायगढ़), लटेरी, सिरोंज, बासौदा, लटेरन, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), बैरसिया, वैरागढ़ (भोपाल), सिहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, श्यामपुर (सीहोर), रायसेन, बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, बाडी (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, मुलताई (बैतूल), बावई, इटारसी, सिवनी-मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी, पचमढी (होशंगाबाद), हरदा, खिरकिया (हरदा), जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), बहोरीबंद, बड़वारा, विजयराघवगढ़ (कटनी), मण्डला, नैनपुर, निवास, घुघरी (मण्डला), शाहपुरा, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, बिछुआ, उमरेठ, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, धनोरा, घंसौर (सिवनी), बालाघाट, बैहर, बारासिवनी, कटंगी, लालवर्मा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील पोरसा, जोरा, (मुरैना), गोहद (भिण्ड), घाटीगांव (ग्वालियर), ईसागढ़ (अशोकनगर), दमोह (दमोह), मानपुर (उमरिया), मल्हारगढ़ (मंदसौर), ताल, रतलाम (रतलाम), शाजापुर, कालापपील (शाजापुर), देवास, बागली, खातेगांव (देवास), धार (धार), सांवेर, इन्दौर, महु, अम्बेडकर नगर, हातोद (इन्दौर), खण्डवा (खण्डवा), नेपानगर

(बुरहानपुर), जीरापुर (राजगढ़), कुरवाई (विदिशा), इच्छावर, रहेटी, बुधनी (सीहोर), गेरतगंज, सिलवानी (रायसेन), होशंगाबाद (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), विछिया (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़, चांद पांडुर्णा (छिन्दवाड़ा), परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील केलारस (मुरैना), जतारा (टीकमगढ़), रघुराजनगर (सतना), चितरंगी (सिंगरौली), बदनावर, धार, गंधवानी (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), जावरा (सीहोर), छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील मुरैना, (मुरैना), धुंधड़क्का (मंदसौर), नीमच (नीमच), उदयनगर (देवास), लखनादौन (सिवनी), विरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी में कहीं-कहीं पर जुताई तथा जिला ग्वालियर में कहीं-कहीं पर रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, बड़वानी, नरसिंहपुर में खरीफ फसलों की बोनी कहीं-कहीं पर चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति- जिला रतलाम, झाबुआ, हरदा में खरीफ फसलों पर सफेद कीट एवं पीला मैजिक रोग एवं जिला बुरहानपुर, सीहोर तथा छिन्दवाड़ा में सोयाबीन फसल पर इल्ली तथा पीला मैजिक रोग का कहीं-कहीं पर प्रभाव होना तथा शेष जिलों में फसलों की स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. कटाई.- . .

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सिंगरौली, शहडोल, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल, बैतूल, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, तुअर, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	8.0				
2. पोरसा	33.0				
3. मुरैना	85.4				
4. जौरा	22.0				
5. कैलारस	37.0				
6. सबलगढ़	4.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	2.8				
2. भिण्ड	3.0				
3. गोहद	19.0				
4. मेहगांव	12.8				
5. लहार	. .				
6. रौन/मिहोना	8.0				
7. गौरमी	. .				
8. मौ	. .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू. रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	6.6				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	2.0				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	20.0				
<b>5. *जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..						
4. नरवर	..						
5. करैरा	..						
6. कोलारस	..						
7. पोहरी	..						
8. बैराढ़	..						
9. बदरवास	..						
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	2.0			4. (1) उड़द, मक्का, गन्ना अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	33.0			सोयाबीन कम.		चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	5.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
4. चन्देरी	15.0						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	1.1			4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	1.0			समान.		चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
4. आरोन	..						
5. चाचौड़ा	..						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	..						
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..			4. (1) चना, उड़द, तिल अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..			ज्वार, मूँग, मूँगफली, अरहर,		चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	35.0			सोयाबीन कम.			
4. टीकमगढ़	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
5. बल्देवगढ़	5.0						
6. पलेरा	2.0						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	7.0						
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..						
4. छतरपुर	..						
5. राजनगर	..						
6. बिजावर	..						
7. बड़ामल्हरा	..						
8. महाराजपुर	..						
9. चंदला	..						
10. धुवारा	..						
11. लवकुश नगर	..						
12. बक्सवाहा	..						



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	14.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	1.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	16.1		मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		सोयाबीन.		
4. सागर	0.5		(2) . .		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	15.0				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	18.0		तिल, मूंगफली सुधरी.		
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	48.6		4. (1) तुअर, तिल, उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	17.0		काँदो-कुटकी, धान, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		मक्का, बाजरा, मूंगफली		
4. नागौद	. .		समान हैं, सोयाबीन,		
5. उचेहरा	11.0		रामतिल कम हैं.		
6. अमरपाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	5.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	7.0				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा न होने से फसलों की स्थिति बिगड़ रही है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	5.0		4. (1) धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		उड़द, मूंग, तुअर, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		काँदो समान.		
4. हनुमना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	6.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द तिल अधिक. कोदों, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	10.0				
4. बुढ़ार	3.0				
5. गोहपारू	1.0				
6. जैतपुर	. .				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.2		4. (1) मक्का अधिक, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदों- कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	1.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	1.9				
4. पुष्पराजगढ़	6.9				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	5.8		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	1.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	19.0				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	8.0				
5. चुरहट	1.0				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	40.6		4. (1) धान समान है. मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदों, तिल कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) मक्का बिगड़ी हुई. शेष फसलें समान हैं.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	3.2		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	28.0				
4. गरोठ	9.0				
5. मंदसौर	12.0				
6. श्यामगढ़	6.0				
7. सीतामऊ	4.4				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	65.0				
10. संजीत	11.0				
11. कयामपुर	9.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	4.0		4.(1) मक्का, उड़द, मूंगफली अधिक. अरहर, मूंग, सोयाबीन, ज्वार कम. तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	62.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	13.5				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 सफेद कीट एवं पीला मैजिक से प्रभावित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	6.0		4.(1) कपास, मक्का कम. सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	15.0				
4. बाजना	14.0				
5. ताल	32.0				
6. रावटी	14.8				
7. पिपलोदा	11.0				
8. रतलाम	19.6				
<b>24. *जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	5.0		4.(1) मक्का, ज्वार, उड़द, लाल- तुअर उड़द समान. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	18.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	6.0				
4. कालापीपल	33.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	10.0				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	16.0		4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	28.0				
4. बागली	19.0				
5. कन्नोद	6.0				
6. हाटपिपल्या	10.0				
7. सतवास	16.0				
8. उदयनगर	66.2				
9. खातेगांव	20.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. उड़द पर पीला मैजिक का प्रभाव.	3. . . 4 (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	2.0				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	8.4				
2. अलीराजपुर	11.4				
3. कट्टीवाड़ा	10.0				
4. सोंडवा	12.0				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	5.5				
6. उदयगढ़	11.6				
7. भामरा	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) मक्का, कपास, गन्ना अधिक. सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	40.4				
2. सरदारपुर	9.0				
3. धार	23.2				
4. कुक्षी	10.5				
5. मनावर	14.0				
6. धरमपुरी	4.0				
7. गंधवानी	41.0				
8. डही	14.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) उड़द, मूँगमोठ, मूँगफली, ज्वार, मक्का, तुअर, सोयाबीन. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	10.0				
2. सांवेर	26.0				
3. इन्दौर	22.9				
4. हातोद	21.0				
5. महु	34.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	0.1				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	5.0				
4. खरगौन	13.2				
5. गोगावां	0.6				
6. कसरावद	1.0				
7. भगवानपुरा	14.0				
8. भीकनगांव	0.8				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4 (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	7.0				
2. ठीकरी	11.0				
3. राजकोट (राजपुर)	10.0				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	7.0				
6. पाटी	1.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	13.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. खड़ी फसल पर इल्ली का प्रकोप.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	20.0		4. (1) मक्का, तुअर, कपास अधिक. सोयाबीन, ज्वार, उड़द, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	6.0				
5. हरसूद	. .				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल पर कहीं कहीं इल्लियों का प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	40.9		4. (1) कपास, मूँगफली, मूँग, उड़द, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	16.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई		
3. नेपानगर	19.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक, धान, ज्वार, अरहर, उड़द, मूँगफली कम. तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	22.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खिलचीपुर	11.0				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	1.2				
6. पचोर	10.0				
7. नरसिंहगढ़	. .				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	2.0		(2) . .		
3. कुरवाई	32.0				
4. बासोदा	3.4				
5. नटेरन	9.0				
6. विदिशा	8.2				
7. गुलाबगंज	15.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	26.0				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	5.8		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, ज्वार, मक्का, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान.		
3. बैरागढ़	12.1				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल में पीला मैजिक रोग.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	4.0		(2) . .		
3. इच्छावर	26.0				
4. नसरुल्लागंज	14.0				
5. रेहटी	25.0				
6. श्यामपुर	14.0				
7. जावर	37.4				
8. बुधनी	24.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	6.0		4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	19.0		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	14.4		ज्वार.		
4. गोहरगंज	13.0		(2) . .		
5. बरेली	5.4				
6. सिलवानी	30.4				
7. बाड़ी	14.0				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	2.0				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचौली	. .				
6. मुलताई	2.0				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	31.4		4. (1) गन्ना, धान, सोयाबीन, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	2.2		मोठ, उड़द.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	9.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	12.0				
5. सोहागपुर	11.0				
6. पिपरिया	1.8				
7. बनखेड़ी	4.2				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	1.2				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. आंशिक रूप से कीट एवं रोगों का प्रभाव है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	7.6		4. (1) उड़द, मूँग, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	11.8		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	20.4				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	0.8		4. (1) उड़द, मूँग अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	1.0		धान, मक्का, तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		सोयाबीन कम.		
4. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	5.5		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		(2) धान, मक्का, तुअर, समान.		
4. बड़वारा	2.0		उड़द, तिल सुधरी हुई.		
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	3.0				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारंभ	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	3.0				
2. नैनपुर	9.5				
3. बिछिया	22.6				
4. निवास	7.0				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	4.3				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोंदों-कुटकी, उड़द, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	30.2				
2. शाहपुरा	5.0				
3. बजाग	8.5				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल पर कीडों का प्रकोप है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान मूंगफली समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	12.6				
2. तामिया	..				
3. परासिया	10.4				
4. सोंसर	22.0				
5. बिछुआ	3.2				
6. अमरवाड़ा	23.4				
7. चौरई	34.8				
8. उमरेठ	1.8				
9. मोहखेड़	24.2				
10. हरई	..				
11. चांद	18.1				
12. जुन्नारदेव	4.2				
13. पांडुर्णा	22.0				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	14.8				
2. बरघाट	10.0				
3. कुरई	2.0				
4. केवलारी	1.8				
5. लखनादोन	74.5				
6. छपारा	40.6				
7. घनोरा	8.4				
8. घंसोर	2.0				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	9.4				
2. लाँजी	..				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	10.0				
5. वारासिवनी	15.0				
6. कटंगी	10.0				
7. लालबरी	5.0				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	27.6				
10. बिरसा	61.8				
11. खैरलांजी	14.0				

टीप :- \*जिला दतिया, उज्जैन से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.